P. Saxena
Registrar

महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय
Mahamaya Technical University

C-22, Sector-62, Noida, G. B. Nagar (U.P.) – 201301
Ph. 0120-2472704/708
Fax: 0120 2472704

पत्र संख्याः–एम0टी0यू0/कुल0 का0/सम्बद्धता/2013/ 4818 दिनांकः–04.06.2013

सेवा में,

Director,
I.T.S. Engineering College,
46, KP-III, Greater Noida.
G.B.Nagar. (College.Code- 222)

विषय :– संस्था को शैक्षिक सत्र 2013–14 हेतु सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने की अपेक्षा है कि शासन के पत्र संख्याः 1382/सोलह –1–2012–13 (03)/2013TC दिनॉक 15.05.2013 के द्वारा, उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) एवं उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2010 एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के पत्र संख्या F.No. Northern/1-1442095242/2013/EOA दिनांक 19.03.2013 एवं महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, गौतमबुद्धनगर की कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में निम्न पाठ्यक्रमों उनके सम्मुख अंकित प्रवेश क्षमता के साथ

बी0टेक0

1-	Civil Engineering	60 Seats
2-	Computer Science & Engineering	120 Seats
3-	Electrical & Electronics Engineering	120 Seats
4-	Electronics & Communication Engineering	120 Seats
5-	Information Technology	60 Seats
6-	Mechanical Engineering	180 Seats
7-	Mechanical Engineering (2nd Shift)	60 Seats

एम0टेक0

1-	Computer Science & Engineering	18 Seats
2-	Electronics & Communication Engineering	18 Seats
	MCA	60 Seats
	MBA	120 Seats

स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2013–14 हेतु सम्बद्धता की स्वीकृत प्रदान की गई है :–

1. संस्था व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन/उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय/महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेंगी अन्यथा सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
2. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा दर्शायी गयी सूचनाओं/विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जाएगी।
3. संस्था से एक माह के अन्दर, संस्था में कार्यरत शिक्षकों की सूची विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जायेगी ताकि इसे निर्देशानुसार उ0प्र0 शासन को प्रस्तुत किया जा सके।